

तत्काल प्रकाशन हेतु

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

भादूविप्रा ने 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकार दिये जाने के नियमों और शर्तों' पर भादूविप्रा की दिनांक 17.02.2025 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के बैक-रेफरेंस का उत्तर दिया।

नई दिल्ली, 13 अगस्त 2025 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज भादूविप्रा की 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकार दिये जाने के नियमों और शर्तों' पर भादूविप्रा की दिनांक 17.02.2025 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त बैक-रेफरेंस का उत्तर जारी किया है।

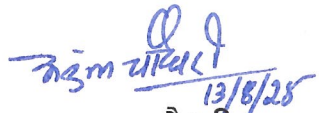
2. इससे पहले, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(a) के तहत दिनांक 26.07.2024 के एक संदर्भ के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने के लिए प्राधिकरण के लिए शुल्क या शुल्क सहित नियमों और शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा, दिनांक 17.10.2024 के एक परिशिष्ट पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम, 2024 की धारा 3(1)(b) के तहत उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए एक प्राधिकरण पर विचार करने का अनुरोध किया था। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, ट्राई ने 17.02.2025 को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार प्राधिकरण के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर अनुशंसाओं दूरसंचार विभाग को प्रदान कीं।

3. इसके बाद, 03.07.2025 को, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) के तहत एक बैक-रेफरेंस भेजा और भादूविप्रा से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दिए जाने वाले नेटवर्क प्राधिकरणों के नियमों और शर्तों पर कुछ अनुशंसाओं पर पुनर्विचार करके अनुशंसाएँ प्रदान

करने का अनुरोध किया, जहां सरकार प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसी अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है या संशोधन की आवश्यकता है।

4. भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर सरकार के प्रथम दृष्टया विचारों का विश्लेषण करने के बाद, भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग को बैक-रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है। बैक-रेफरेंस पर ट्राई की प्रतिक्रिया को भादूविप्रा की वेबसाइट ([www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in)) पर भी रखा गया है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

  
(अतुल कुमार चौधरी)  
सचिव, भादूविप्रा